तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नरेश, 163,वी.डी.नगर जिला पाली राजस्थान बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 02/2023 जीसीएमएस नं. :– 2023/175 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

–: निर्णय :–

14.08.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष उपस्थित।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचना तहसीलदार, पाली से संबंधित होने से तहसीलदार, पाली ने अपने पत्र द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना काफी ढूढ़ने के बाद भी इस कार्यालय में नहीं मिली है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पाली द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति जाहिर की।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पाली को निर्देशित किया जाता है कि एक बार पुनः एक कमेटी का गठन किया जाकर वांछित सूचना कार्यालय में ढूंढकर अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 30 दिवस में निस्तारण करे व रिकॉर्ड नहीं मिलने की स्थिति में प्रथम सूचना रिपॉर्ट दर्ज करवाने संबंधित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

6. निर्णय आज दिनांक **14.08.2024** को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner